केवल शासकीय उपयोग हेतु

स्थानीय निकायों के निर्वाचन से संबंधित महत्वपूर्ण अधिनियम

1. छत्तीसगढ़ स्थानीय प्राधिकारी (निर्वाचन अपराध) अधिनियम, 1964
2. छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985
3. छत्तीसगढ़ सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 1994

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग, रायपुर
वर्ष 2014

अनुक्रमणिका

क्र.	अधिनियम	पृष्ठ क्रमांक
1.	(अ) छत्तीसगढ़ स्थानीय प्राधिकारी (निर्वाचन अपराध) अधिनियम, 1964	1
	(ब) The Chhattisgarh Local Authorities (Electoral Offences) Act. 1964	16
2.	(अ) छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985	31
	(ब) The Chhattisgarh Kolahal Niyantran Adhiniyam, 1985	39
3.	(अ) सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 1994	48
	(ब) The Chhattisgarh Sampatti Virupan Nivaran Adhiniyam,1994	50

छत्तीसगढ़ अधिनियम
क्रमांक 13 सन् 1964

छत्तीसगढ़ स्थानीय प्राधिकारी (निर्वाचन अपराध) अधिनियम, 1964

विषय–सूची

धाराएं:

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ.
2. परिभाषाएं
3. निर्वाचन के दिन तथा उसके एक दिन पूर्व सार्वजनिक सभाओं का प्रतिषेध.
4. निर्वाचन सभाओं में विघ्न.
5. निर्वाचनों में पदाधिकारी आदि उम्मीदवारों के लिये कार्य नहीं करेंगे और न मतदान पर प्रभाव डालेंगे.
6. मतदान केन्द्रों में या उनके आस–पास मत याचना करने का प्रतिषेध.
7. मतदान केन्द्रों में या उनके आस–पास विश्रृंखल आचरण के लिये शास्ति.
8. मतदान केन्द्र में अवसर के लिये शास्ति.
9. निर्वाचनों में अवैध रूप से वाहनों को भाड़े पर लेने या प्राप्त करने के लिये शास्ति.
10. मतदान केन्द्र से मतपत्र हटाना अपराध होगा.
11. अन्य अपराध और उनके लिये शास्तियां.
12. कतिपय अपराधों के सम्बन्ध में अभियोजन.
13. निर्वाचनों के सम्बन्ध में शासकीय कर्तव्य का भंग.
14. मतदान की गोपनीयता बनाये रखना.
15. निरसन.

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 13, सन् 1964)
छ.ग. स्थानीय प्राधिकारी (निर्वाचन अपराध) अधिनियम, 1964
(इस अधिनियम का अनुकूलन छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा कर लिया गया हैं)

[दिनांक 27 मई, सन् 1964 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति ''मध्यप्रदेश राजपत्र'' (असाधारण), में दिनांक 12 जून, सन् 1964 को प्रथम बार प्रकाशित की गई]

छत्तीसगढ़ के नगरपालिक निगमों, नगरपालिका परिषदों, [नगर पंचायतों, ग्राम पंचायतों, जनपद पंचायतों तथा जिला पंचायतों] के निर्वाचनों में या निर्वाचनों के सम्बन्ध में होने वाले निर्वाचन–अपराधों के लिये उपबन्ध करने के हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के पन्द्रहवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान मण्डल द्वारा इसे निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जाय।

1. संक्षिप्त नाम, तथा प्रारम्भ.–(1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ स्थानीय प्राधिकारी (निर्वाचन अपराध) अधिनियम, 1964 कहलायेगा।

(2) इसका विस्तार क्षेत्र सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ होगा।

(3) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य शासन, अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

2. परिभाषाएं.:–इस अधिनियम में, जब तक कि प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(1) ''निर्वाचन'' से तात्पर्य–(क) किसी नगरपालिका निगम की दशा में छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956), के अधीन पार्षद् के पद की पूर्ति के निर्वाचन से है;

(ख) किसी नगरपालिका परिषद् [या नगर पंचायत] की दशा में छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961), के अधीन परिषद् के पार्षद् के पद की पूर्ति के लिये निर्वाचन से है;

(ग) किसी ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत की दशा में, छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) के अधीन क्रमशः किसी ग्राम पंचायत के पंच और सरपंच किसी जनपद पंचायत के किसी सदस्य और किसी जिला पंचायत के किसी सदस्य के पद को भरने के लिए निर्वाचन;

(2) स्थानीय प्राधिकारी से अभिप्रेत है यथास्थिति छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) के अधीन गठित कोई नगरपालिक निगम, छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) के अधीन गठित कोई नगरपालिका परिषद् या कोई नगर पंचायत या छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) के अधीन गठित कोई ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत या जिला पंचायत;

(3) ''स्थानीय प्राधिकरण का प्रमुख पदाधिकारी'' से तात्पर्य–

(क) नगरपालिक निगम की दशा में छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 5 की उपधारा (11) में परिभाषित आयुक्त से है;

(ख) नगरपालिका परिषद् या नगर पंचायत की दशा में छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 3 की उपधारा (5) में यथा परिभाषित मुख्य नगरपालिका अधिकारी;

(ग) ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत या जिला पंचायत की दशा में, छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 69 की उपधारा (1), (2) तथा (3) के अधीन नियुक्त किया गया क्रमशः सचिव, मुख्य कार्यपालन अधिकारी या सचिव उक्त धारा की उपधारा (4) के अधीन ऐसे पदों के कर्तव्यों का पालन करने वाला व्यक्ति,

(4) "निर्वाचन पदाधिकारी" से तात्पर्य–

(क) किसी नगरपालिक निगम के पार्षद के स्थान के लिये निर्वाचन की दशा में, छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23, सन् 1956) के अधीन उस रूप में नियुक्त किसी पदाधिकारी से है;

(ख) किसी नगरपालिका परिषद या नगर पंचायत के पार्षद् के स्थान के लिये निर्वाचन की दशा में छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37, सन् 1961) के अधीन उस रूप में नियुक्त किसी पदाधिकारी से है;

(ग) किसी ग्राम पंचायत के पंच या सरपंच के स्थान के या किसी जनपद पंचायत या जिला पंचायत के सदस्य के स्थान के निर्वाचन की दशा में छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1, सन् 1994) के अधीन उस रूप में नियुक्त किया गया कोई अधिकारी।

3. निर्वाचन के दिन तथा उसके एक दिन पूर्व सार्वजनिक सभाओं का प्रतिषेध.–(1) कोई भी व्यक्ति किसी निर्वाचन क्षेत्र में उस दिनांक या उन दिनांकों को जिसको या जिनको कि उस निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन के लिये मतदान किया जाय, या उक्त दिनांक या दिनांको के एक दिन पूर्व कोई सार्वजनिक सभा न बुलायेगा, न करेगा और न उसमें उपस्थित होगा।

(2) कोई भी व्यक्ति जो उपधारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा, ऐसे जुर्माने से दण्डनीय होगा जो दो सौ पचास रूपये तक हो सकता है।

4. निर्वाचन सभाओं में विघ्न.–(1) कोई भी व्यक्ति जो किसी ऐसी सार्वजनिक सभा में, निर्वाचन से संबंधित उस कार्य के, जिसके लिये वह सभा एकत्रित की गई हो सम्पादन को रोकने के प्रयोजन से विश्रृंखल रीति में कार्य

करेगा या वैसा करने के लिये दूसरों को उद्दीप्त करेगा, ऐसे जुर्माने से दण्डनीय होगा दो सौ पचास रूपये तक हो सकता है।

(2) .....लुप्त.....

(3) यदि कोई पुलिस पदाधिकारी किसी व्यक्ति पर उपधारा (1) के अधीन अपराध करने का युक्तियुक्त रूप से सन्देह करता हो, तो वह उस सभा के सभापति द्वारा वैसा करने के लिये उससे प्रार्थना की जाने पर, उस व्यक्ति से अपेक्षा कर सकेगा कि वह व्यक्ति अपना नाम और पता उसे तुरन्त बताये और यदि वह व्यक्ति अपना नाम और पता इस प्रकार बतलाने से इन्कार करे अथवा न बतलावे या यदि पुलिस पदाधिकारी उस व्यक्ति पर गलत नाम या पता बतलाने का युक्तियुक्त रूप से सन्देह करे, तो पुलिस पदाधिकारी उसे अधिपत्र के बिना गिरफ्तार कर सकेगा।

5. निर्वाचनों में पदाधिकारी आदि उम्मीदवारों के लिये कार्य नहीं करेंगे और न मतदान पर प्रभाव डालेंगे.—(1) कोई भी व्यक्ति जो किसी निर्वाचन में निर्वाचन पदाधिकारी या पीठासीन अधिकारी (प्रिसाइडिंग आफिसर) या मतदान पदाधिकारी हो, या कलेक्टर या किसी स्थानीय प्राधिकरण के प्रमुख पदाधिकारी या निर्वाचन पदाधिकारी या पीठासीन या मतदान पदाधिकारी द्वारा किसी निर्वाचन के सम्बन्ध में किसी कर्तव्य का पालन करने के लिये नियुक्त कोई पदाधिकारी या लिपिक हो, निर्वाचन के संचालन या प्रबन्ध में, किसी उम्मीदवार के निर्वाचन की प्रत्याशा में वृद्धि करने के लिये (मत देने के अतिरिक्त) कोई कार्य नहीं करेगा।

(2) पूर्वोक्त जैसा कोई भी व्यक्ति तथा पुलिस बल का कोई भी सदस्य—

(क) किसी भी व्यक्ति को निर्वाचन में अपना मत देने के लिये फुसलाने का; या

(ख) किसी भी व्यक्ति को निर्वाचन में अपना मत देने से प्रतिनिवृत्त करने का; या

(ग) निर्वाचन में किसी व्यक्ति के मतदान पर किसी प्रकार से प्रभाव डालने का प्रयत्न नहीं करेगा।

(3) कोई भी व्यक्ति जो उपधारा (1) या उपधारा (2) के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा, ऐसे कारावास से जो छः मास तक हो सकता है या जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा।

6.मतदान केन्द्रों में या उनके आसपास मतयाचना करने का प्रतिषेध.– (1) कोई भी व्यक्ति उस दिनांक या दिनांकों को जिसको या जिनको किसी मतदान केन्द्र में मतदान केन्द्र के भीतर या मतदान केन्द्र से सौ मीटर की दूरी के भीतर के किसी मार्ग, सड़क, गली, या खुले स्थान में निम्नलिखित कार्यों में से कोई भी कार्य नहीं करेगा, अर्थात्.–

(क) किसी मतदाता के मतों के लिये याचना करना (केन्वासिंग); या

(ख) किसी मतदाता के मत को प्रयाचना (सालिसिट) करना; या

(ग) किसी विशेष उम्मीदवार को मत न देने के लिये किसी मतदाता को फुसलाना; या

(घ) निर्वाचन में मत न देने के लिये किसी मतदाता को फुसलाना; या

(ड) निर्वाचन से संबंधित (शासकीय सूचना के अतिरिक्त) किसी अन्य सूचना या चिन्ह का प्रदर्शन करना.

(2) कोई भी व्यक्ति जो उपधारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा ऐसे जुर्माने से दण्डनीय होगा जो दो सौ पचास रूपये तक हो सकता है।

(3) इस धारा के अधीन दण्डनीय अपराध प्रसंज्ञेय (काग्निजेबल) होगा।

7. मतदान केन्द्रों में या उसके आसपास विश्रृंखल आचरण के लिये शास्ति.–(1) कोई भी व्यक्ति उस दिनांक या उन दिनांको को, जिसको या जिनको किसी मतदान केन्द्र में मतदान किया जाय,–

(क) मतदान केन्द्र के भीतर या उसके प्रवेश द्वारा पर या उसके पड़ोस के किसी सार्वजनिक या निजी स्थान में मानव ध्वनि का विस्तारण या पुनरूत्पादन करनेवाला कोई उपकरण जैसा कि ध्वनिक्षेपक (मेगाफोन) या ध्वनिविस्तारक (लाउडस्पीकर), न तो उपयोग में लायेगा और न चलायेगा; या

(ख) मतदान केन्द्र के भीतर या उसके प्रवेश द्वार पर या उसके पड़ोस के किसी सार्वजनिक या निजी स्थान में न तो चिल्लायेगा और न विश्रृंखल रीति में अन्यथा कार्य करेगा।

कि जिससे मत देने के लिये मतदान केन्द्र में जाने वाले किसी व्यक्ति को क्षोभ हो या मतदान केन्द्र के कर्तव्यारूढ़ पदाधिकारियों तथा अन्य व्यक्तियों के कार्यों में बाधा हो।

(2) कोई भी व्यक्ति जो उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन में जानबूझकर सहायता या अभिप्रेरण करेगा, ऐसे कारावास से जो तीन मास तक हो सकता है, या जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा।

(3) यदि किसी मतदान केन्द्र के मतदान अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हो कि कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन, दण्डनीय कोई अपराध कर रहा है, या कर चुका है, तो वह ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिये किसी पुलिस पदाधिकारी को निर्देश दे सकेगा और ऐसे होने पर पुलिस पदाधिकारी उसे गिरफ्तार कर लेगा।

(4) कोई भी पुलिस पदाधिकारी ऐसे उपाय कर सकेगा और ऐसा बल प्रयोग कर सकेगा जैसा कि उपधारा (1) के उपबंधों के किसी उल्लंघन को रोकने के लिये युक्तियुक्त रूप से आवश्यक हो और ऐसे उल्लंघन के लिये उपयोग में लाये गये किसी उपकरण का अभिग्रहण कर सकेगा।

8. मतदान केन्द्र में अवचार के लिये शास्ति.—(1) कोई भी व्यक्ति, जो किसी मतदान केन्द्र में मतदान के लिये निश्चित किये गये घण्टों में अवचार करेगा या मतदान पदाधिकारी के विधिसंगत निर्देशों का पालन नहीं करेगा, मतदान पदाधिकारी द्वारा या किसी कर्तव्यारूढ़ पुलिस

पदाधिकारी द्वारा या ऐसे मतदान पदाधिकारी द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा मतदान केन्द्र से हटाया जा सकेगा।

(2) उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग इस प्रकार नहीं किया जायेगा कि जिससे ऐसे मतदाता को, जिसे मतदान केन्द्र में मत देने के लिये अन्यथा हक है, उस केन्द्र में मत देने का अवसर मिलने में बाधा हो,

(3) यदि कोई भी व्यक्ति जो मतदान केन्द्र से इस प्रकार हटाया गया हो, मतदान पदाधिकारी की अनुज्ञा के बिना मतदान केन्द्र में पुनः प्रवेश करे, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक हो सकती है या जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा।

(4) उपधारा (3) के अधीन दण्डनीय अपराध प्रसंज्ञेय (काग्निजेबल) होगा।

9. निर्वाचनों में अवैध रूप से वाहनों को भाड़े पर लेने या प्राप्त करने के लिये शास्ति.–(1) कोई भी उम्मीदवार या उसका अभिकर्ता या कोई भी अन्य व्यक्ति निर्वाचन के लिये आयोजित किसी मतदान केन्द्र तक या से (स्वयं उम्मीदवार, उसके परिवार के सदस्य या उसके अभिकर्ता के अतिरिक्त अन्य) किसी निर्वाचक को ले जाने के लिये कोई गाड़ी या जलयान न तो भाड़े पर लेगा न भुगतान पर अथवा अन्यथा प्राप्त करेगाः

परन्तु इस धारा में अनर्विष्ट प्रतिषेध निम्नलिखित को लागू नहीं होगाः–

(क) किसी निर्वाचक या अपने संयुक्त खर्चे से अनेक निर्वाचको द्वारा, अपने को किसी भी ऐसे मतदान केन्द्र तक या से ले जाने के प्रयोजन के लिये गाड़ी या जलयान का भाड़े पर लिया जाना यदि इस प्रकार भाड़े पर ली गई गाड़ी या जलयान ऐसी गाड़ी या जलयान हो जो यांत्रिक शक्ति से चालित न हो; या

(ख) किसी ऐसे मतदान केन्द्र तक जाने या वहां से आने के प्रयोजन के लिये स्वयं खर्चे से किसी निर्वाचक द्वारा

किसी लोक परिवहन गाड़ी या जलयान या रेलगाड़ी का उपयोग।

व्याख्या.—इस खण्ड में अभिव्यक्ति ''गाड़ी'' से तात्पर्य किसी भी ऐसी गाड़ी से है जो सड़क परिवहन के प्रयोजन के लिये उपयोग में लाई जाय या उपयोग में लाई जाने योग्य हो, चाहे वह यांत्रिक शक्ति द्वारा अन्यथा चालित हो और चाहे वह अन्य गाड़ियों को खींचने के लिये अन्यथा उपयोग में लाई जाती हो।

(2) कोई भी व्यक्ति, जो उपधारा (1) का उल्लंघन करेगा, जुर्माने से दण्डनीय होगा; जो दो सौ पचास रूपये तक हो सकता है।

10. मतदान केन्द्र से मतपत्र हटाना अपराध होगा.— (1) कोई भी व्यक्ति जो किसी निर्वाचन में किसी मतदान केन्द्र से कपट पूर्वक कोई मतपत्र ले जायेगा ले जाने की चेष्टा करेगा या किसी ऐसे कार्य के किये जाने में जानबूझकर सहायता या अभिप्रेरण करेगा, कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक हो सकती है, या जुर्माने से, जो पांच सौ रूपये तक हो सकता है या दोनों से, दण्डनीय होगा।

(2) यदि किसी मतदान केन्द्र के मतदान पदाधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हो कि कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन दण्डनीय कोई अपराध कर रहा है, या कर चुका है तो ऐसा पदाधिकारी मतदान केन्द्र से ऐसे व्यक्ति के चले जाने के पूर्व ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगा या ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिये किसी पुलिस पदाधिकारी को निर्देश दे सकेगा और ऐसे व्यक्ति की तलाशी ले सकेगा या किसी पुलिस पदाधिकारी द्वारा उसकी तलाशी करा सकेगाः

परन्तु जब किसी स्त्री की तलाशी कराना आवश्यक हो, तो उसकी तलाशी किसी अन्य स्त्री द्वारा शिष्टता का पूर्ण ध्यान रखते हुए ली जायेगी।

(3) गिरफ्तार व्यक्ति की तलाशी लेने पर पाया गया कोई मतपत्र मतदान पदाधिकारी द्वारा पुलिस पदाधिकारी को सुरक्षित अभिरक्षा के लिये सौंप दिया जावेगा या जब तलाशी पुलिस पदाधिकारी द्वारा ली गई हो, तो वह ऐसे पदाधिकारी द्वारा सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जायेगा।

(4) उपधारा (1) के अधीन दण्डनीय प्रसंज्ञेय (काग्निजेबल) होगा।

11. अन्य अपराध और उनके लिये शास्तियां.–(1) कोई व्यक्ति निर्वाचन अपराध का दोषी होगा, यदि किसी निर्वाचन में वहः–

(क) किसी नाम–निर्देशन पत्र को कपटपूर्वक विरूपित करे या कपटपूर्वक नष्ट करे; या

(ख) निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन लगाई गई किसी सूची, सूचना या अन्य दस्तावेज को कपटपूर्वक विरूपित करे, नष्ट करे, या हटाये; या

(ग) सम्यक् प्राधिकार के बिना किसी व्यक्ति को कोई मतपत्र दे या; किसी व्यक्ति से कोई मतपत्र प्राप्त करे या कोई मतपत्र कब्जे में रखे हों; या

(घ) किसी मतपेटी में, ऐसे मतपत्र के अतिरिक्त जिसे कि वह उसमें डालने के लिये विधि द्वारा प्राधिकृत है, उन्य कोई वस्तु कपटपूर्वक डाले; या

(ङ) निर्वाचन के प्रयोजनों के लिये उस समय उपयोग में लाई जाने वाली किसी मतपेटी या मतपत्र को यथोचित प्राधिकार के बिना नष्ट करे, लेवे, खोले या उसमें अन्यथा हस्तक्षेप करे; या

(च) कपटपूर्वक या सम्यक् प्राधिकार के बिना, जैसी भी दशा हो, पूर्वोक्त कार्यो में से कोई कार्य करने की चेष्टा करे या किन्ही ऐसे कार्यों को किये जाने में जानबूझकर सहायता या अभिप्रेरण करे।

(2) इस धारा के अधीन निर्वाचन–अपराध का दोषी कोई भी व्यक्ति–

(क) यदि वह निर्वाचन पदाधिकारी या किसी मतदान केन्द्र का मतदान पदाधिकारी या निर्वाचन के संबंध में शासकीय कर्तव्य पर नियोजित कोई अन्य पदाधिकारी या लिपिक हो तो ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकती है या जुर्माने से या दोनों दंडनीय होगा;

(ख) यदि वह कोई अन्य व्यक्ति हो तो कारावास से जिसकी अवधि छः मास तक हो सकती है या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिये किसी व्यक्ति को शासकीय कर्तव्य पर समझा जायेगा यदि निर्वाचन के या उसके किसी भाग के, जिसमें मतों की गणना भी सम्मिलित है, संचालन में भाग लेना या ऐसे निर्वाचन के संबंध में उपयोग में लाये गये मतपत्रों तथा अन्य दस्तावेजों के लिये निर्वाचन के पश्चात उत्तरदायी रहना उसका कर्तव्य हो।

(4) उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन दंडनीय अपराध प्रसंज्ञेय (काग्निजेबल) होगा।

[12. **कतिपय अपराधों के संबंध में अभियोजनः–** (1) यदि स्थानीय प्राधिकरण के प्रमुख पदाधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी निर्वाचन के संबंध में धारा 5 के अधीन या धारा 11 की उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन दण्डनीय कोई अपराध किया गया है, तो ऐसे पदाधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह तत्काल उस बारे में रिपोर्ट उस कलेक्टर को भेजे जिसके कि स्थानीय क्षेत्राधिकार के भीतर वह स्थानीय प्राधिकरण स्थित हो।

(2) यदि ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने पर या अन्यथा कलेक्टर का समाधान हो जाय कि ऐसा अपराध, जिसको उपधारा (1) लागू होती है, उसके अधिकार–क्षेत्र के भीतर किया गया है, तो वह ऐसी जांच करवायेगा तथा ऐसे अभियोजन संस्थित करवायेगा जैसे कि मामले की परिस्थितियों के अनुसार उसे आवश्यक प्रतीत हो।

(3) कोई भी न्यायालय धारा 5 के अधीन या धारा 11 की उपधारा (2) के खण्ड (क) के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का तब तक प्रसज्ञान नहीं करेगा जब तक कि संबंधित कलेक्टर के आदेश द्वारा या उससे प्राप्त प्राधिकार के अधीन शिकायत न की गई हों।]

13. निर्वाचनों के संबंध में शासकीय कर्त्तव्य का भंग.–(1) यदि कोई व्यक्ति जिसको यह धारा लागू होती हो अपने शासकीय कर्तव्य का भंग करते हुए किसी कृत अथवा अकृत का, युक्तियुक्त कारण के बिना, दोषी हो, तो वह जुर्माने से, जो पांच सौ रूपये तक हो सकता है, दंडनीय होगा।

(2) पूर्वोक्त प्रकार के किसी कृत अथवा अकृत के संबंध में हानि पूर्ति के लिये ऐसे किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध कोई भी वाद या अन्य वैधिक कार्यवाही सन्धार्य नहीं होगी।

(3) जिन व्यक्तियों को यह धारा लागू होती है निर्वाचन पदाधिकारी, पीठासीन पदाधिकारी (प्रिसाइडिंग आफीसर्स) मतदान पदाधिकारी और ऐसा कोई अन्य व्यक्ति जो नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने या उम्मीदवारी वापस लेने या निर्वाचन में मतों के अभिलेखन या उनकी गणना के संबंध में किसी कर्तव्य का पालन करने के लिये नियुक्त किया गया हो, और अभिव्यक्ति ''शासकीय कर्तव्य'' का अर्थ इस धारा के प्रयोजन के लिये तद्नुसार लगाया जायगा, किन्तु इसमें वे कर्तव्य सम्मिलित नहीं होंगे जो उस विधि के, जिसके अधीन निर्वाचन किया गया हो, द्वारा या अधीन के अतिरिक्त अन्यथा आरोपित किये गये हों।

14. मतदान की गोपनीयता बनाये रखना.–(1) प्रत्येक पदाधिकारी, लिपिक, अभिकर्ता या अन्य व्यक्ति, जो निर्वाचन में मतों के अभिलेखन या उनकी गणना के संबंध में किसी कर्त्तव्य का पालन करता हो,

मतदान की गोपनीयता को बनाये रखेगा तथा उसे बनाये रखने में सहायता देगा और किसी भी व्यक्ति को (किसी भी विधि के द्वारा या अधीन प्राधिकृत किसी प्रयोजन की स्थिति को छोड़कर) ऐसी कोई भी जानकारी संसूचित नहीं करेगा जिससे कि ऐसी गोपनीयता का अतिक्रमण होता हो।

(2) कोई भी व्यक्ति जो उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक हो सकती है, या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा।

14–क–पुस्तिकाओं, पोस्टरों, आदि के मुद्रण पर निर्बन्धन.– (1) कोई भी व्यक्ति कोई ऐसी निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर जिसके मुख्य पृष्ठ पर उसके मुद्रक और प्रकाशक के नाम और पते न हों, दोनों में से किसी दशा में मुद्रित या प्रकाशित नहीं करेगा और न मुद्रित या प्रकाशित कराएगा।

(2) कोई भी व्यक्ति किसी निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर को–

(क) उस दशा में के सिवाय न तो मुद्रित करेगा और न मुद्रित कराएगा जिसमें वह उसके प्रकाशक की अनन्यता के बारे में अपने द्वारा हस्ताक्षरित और ऐसे दो व्यक्तियों द्वारा जो उसे स्वयं जानते हैं अनुप्रमाणित द्विप्रतीक घोषणा मुद्रक को परिदत्त कर देता है; तथा

(ख) इस दशा में के सिवाय न तो मुद्रित करेगा और न मुद्रित कराएगा जिसमें कि मुद्रक घोषणा की एक प्रति दस्तावेज की एक प्रति के सहित उस जिले के जिसमें कि वह मुद्रित की जाती है ऐसे अधिकारी को जो शासन विनिर्दिष्ट करे को दस्तावेज के मुद्रण के पश्चात् युक्तियुक्त समय के भीतर भेज देता है।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए–

(क) दस्तावेज की अनेकानेक प्रतियां बनाने की किसी ऐसी प्रक्रिया की बाबत् जो हाथ से नकल करके ऐसी प्रतियां बनाने से भिन्न है, यह समझा जाएगा कि वह मुद्रण है, और ''मुद्रक'' पद का अर्थ तद्नुसार लगाया जायेगा, तथा

(ख) ''निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर'' से किसी अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों के समूह के निर्वाचन को सम्प्रवर्तित या प्रतिकूलतः प्रभावित करने के प्रयोजन के लिए वितरित कोई मुद्रित पुस्तिका, पर्चा या अन्य दस्तावेज या निर्वाचन के प्रति निर्देश करने वाला कोई प्लेकार्ड या पोस्टर अभिप्रेत है, किन्तु किसी निर्वाचन सभा की तारीख, समय स्थान और अन्य विशिष्टियों को केवल अख्यापित करने वाला या निर्वाचन अभिकर्ताओं या कार्यकर्ताओं को चर्या संबंधी अनुदेश देने वाला कोई पर्चा, प्लेकार्ड या पोस्टर इसके अन्तर्गत नहीं आता है।

(4) जो कोई व्यक्ति उपधारा (1) या उपधारा (2) के उपबंधों में से किसी का उल्लंघन करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि छः मास तक की हो सकेगी या जुर्मान से, जो दो हजार रूपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

14–ख–निर्वाचन अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता या गणन अभिकर्ता के रूप में कार्य करने वाले सरकारी सेवकों के लिए शास्ति.– यदि सरकार की सेवा में का कोई व्यक्ति किसी निर्वाचन में अभ्यर्थी के निर्वाचन अभिकर्ता या मतदान अभिकर्ता या गणन अभिकर्ता के रूप में कार्य करेगा, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो एक हजार रूपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

14–ग–निर्वाचन के संबंध में वर्गों के बीच शत्रुता संप्रवर्तित करना. –जो कोई व्यक्ति इस अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (1) में परिभाषित निर्वाचन के संबंध में शत्रुता या घृणा की भावनाएं छत्तीसगढ़ में रहने वाले या कारबार, व्यापार वृत्ति आजीविका चलाने वाले भारत के नागरिकों के विभिन्न वर्गों के बीच, धर्म, मूलवंश, जाति, समुदाय, या भाषा के आधारों पर संप्रवर्तित करेगा या संप्रवर्तित करने का प्रयत्न करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

14–घ–बूथ के बलात् ग्रहण का अपराध.–जो कोई बूथ के बलात् ग्रहण का अपराध करेगा वह, कारावास से जिसकी अवधि छः मास से कम की नहीं होगी किन्तु जो दो वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, दण्डनीय होगा और जहां ऐसा अपराध सरकार की सेवा में के किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है, वहां वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु तीन वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दण्डनीय होगा।

स्पष्टीकरण.–इस धारा के प्रयोजनों के लिए ''बूथ का बलात् ग्रहण'' के अंतर्गत अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित सभी या उसमें से कोई क्रियाकलाप है, अर्थात्:–

(क) किसी व्यक्ति या किन्ही व्यक्तियों द्वारा मतदान केन्द्र या मतदान के लिये नियत स्थान का अभिग्रहण करना, मतदान प्राधिकारियों से मतपत्रों या मतदान मशीनों को अभ्यर्पित कराना या ऐसा कोई अन्य कार्य करना जो निर्वाचनों के व्यवस्थित संचालन को प्रभावित करता है;

(ख) किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों द्वारा किसी मतदान के लिए नियत किसी स्थान को कब्जे में लेना और केवल उसके या उनके अपने समर्थकों को ही मत देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने देना और अन्यों को मतदान करने से निवारित करना;

(ग) किसी निर्वाचक को धमकी देना और उसे अपना मत देने के लिए मतदान केन्द्र या मतदान के लिए नियत स्थान पर जाने से निवारित करना;

(घ) किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों द्वारा मतगणना करने के स्थान का अभिग्रहण करना, मतगणना प्राधिकारियों

को मतपत्रों या मतदान मशीनों का अभ्यर्पित कराना और ऐसा कोई अन्य कार्य करना जो मतों की व्यस्थित गणना को प्रभावित करता है।

(ङ) सरकार की सेवा में के किसी व्यक्ति द्वारा किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन की संभाव्यताओं को अग्रसर करने के लिए पूर्वोक्त सभी या किसी क्रियाकलाप का किया जाना या किसी ऐसे क्रियाकलाप में सहायता करना या मौनानुमति देना।

*****

CHHATTISGARH ACT

(No. 13 OF 1964)

THE CHHATTISGARH LOCAL AUTHORITIES (ELECTORAL OFFENCES) ACT, 1964

[Received the assent of the Governor 0n the 27th May, 1964; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette" (Extra ordinary) on the 12th June, 1964]

An Act to provide for the electoral offences at or in connection with the elections to the Municipa1 Corporation, Municipal. Councils, Nagar Panchayats, Gram Panchayats, Janpad Panchayats and Zila Panchayats. in Chhattisgarh

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Fifteenth year of the Republic of India as follows :-

1. Short title, extent and commencement-(1) This Act may be called the Chhattisgarh Local Authorities (Electoral Offences) Act, 1964.

(2) It extends to the whole of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification appoint.

2. Definitions.- In this Act, unless the context otherwise requires –

(1) "election" means –

(a) In the case of a Municipal Corporation an election to fill the office of a councillor under the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956);

(b) In the case of a Municipal Council or Nagar Pancahyat an election to fill the office of the councillor of the Council) under the Chhattisgarh Municipalities Act. 1961 (No. 37 of 1961);

(c) in the case of a Gram Panchayat, Janpad Panchayat and Zila Panchayat, an election to fill the offices of a Panch and Surpanch of a Gram Panchayat, a member of a Janpad Panchayat and a member of a Zila Panchayat respectively under the Chhattisgarh Panchayat Raj Adhiniya.. 1993, (No.1 of 1994);

(2) "Local Authority" means a Municipal Corporation constituted under the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) a Municipal Council or a Nagar Panchayat constituted under the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), or a Gram Panchayat, Janpad Panchayat or Zila Panchayat, Constituted under the Chhattisgarh Panchayat Raj Adhiniyam, 1993 (No.1 of 1994), as the case may be;

(3) "Principal Officer of a local authority" means

(a) in the case of a Municipal Corporation, the Commissioner as defined in sub-section (11) of Section 5 of the Chhattisgarh Municipal' Corporation Act -1956 (No. 23 of 1956);

(b) in the case of a Municipal Council or a Nagar Panchayat, the Chief Municipal Officer as defined in subsection (5) of Section 3 of the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961);

(c) in the case of a Gram Panchayat, Janpad Panchayat or a Zila Panchayat, the Secretary, the Chief Executive Officer or the secretary appointed respectively under sub-sections (I), (2) and (3) of Section 69 of the Chhattisgarh Panchayat Raj Adhiniyam, 1993 (No.1 of 1994), or the person performing the duties of such posts under sub-section (4) of the said Section;

(4) Returning Officer means

(a) in the case of an election to a seat of a councillor of a Municipal Corporation, any officer appointed as such under the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956(No. 23 of 1956);

(b) in the case of an election to a seat of councillor of a Municipal Council or [Nagar Panchayat] any officer appointed as such under the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961);

[(c) in the case of an election to a seat of a Panch or a Sarpanch of a Gram Panchayat or of a member of Janpad Panchayat or a Zila Panchayat, any officer appointed as such under the Chhattisgarh Panchayat Raj Adhiniyam, 1993 (No.1 of 1994).]

3. Prohibition of public meetings on and one day prior to election day.-(l) No person shall convene, hold or attend any public meeting within any constituency on and one day prior to the date or dates on which a poll is taken for an election in that constituency.

(2) Any person who contravenes the provisions of sub-section (1) shall be punishable with fine which may extend to two hundred and fifty rupees.

4. Disturbances at election meetings.- (1) Any person who at a public meeting [relating to an election] acts, or incites others to act. in a disorderly manner for the purpose of preventing the transaction of the business for which the meeting was called together, shall be punishable with fine which may extend to two hundred and fifty rupees.

(2) Omitted,

(3) If any police officer reasonably suspects any person of committing an Offence under sub-section (1), he may, if requested so to do by the chairman of the meeting, require that persons to declare to him immediately his name and address and if that person refuses or fails so to declare his name and address or if the police officer reasonably suspects him of giving a false name or address the police officer may arrest him without warrant.

5. Officers, etc., at elections not to act for candidates or to influence voting.-(l) No person who is a returning officer or a presiding or polling officer at an election or an officer or clerk . appointed by the Collector or the principal officer of a local authority or the Returning Officer or the presiding or the polling officer to perform any duty in connection with an election shall in the conduct or the management of the election do any act (other than the giving of vote) for the furtherance of the prospects of the election of a candidate.

(2) No such person as aforesaid, and no member of a police force, shall endeavour –

(a) to persuade any person to give his vote at an election; or

(b) to dissuade any person from giving his vote at an election; or

(c) to influence the voting of any person at an election in any manner.

(3) Any person who contravenes the provisions of sub-section (1) or sub-section (2) shall be punishable with imprisonment which may extend to six months or with fine or with both.

6. Prohibition of canvassing in or near polling stations.(1) No person shall, on the date or dates on which a poll is taken at any polling station, commit any of the following acts within the polling station or on any road, street, lane or open Space within a distance of hundred metres of the polling station, namely :-

(a) canvassing for votes; or

(b) soliciting the vote of any elector; or

(c) persuading any elector not to vote for any particular candidate; or

(d) persuading any elector not to vote at the election; or

(e) exhibiting any notice or sign (other than an official notice) relating to the election.

(2) Any person who contravenes the provisions of sub-section (1) shall be punishable with fine which may extend to two hundred and fifty rupees

(3) An offence punishable under this section shall be cognizable.

7. Penalty for disorderly conduct in or near polling stations.- (1) No person shall on the date or dates on which a poll is taken at any polling station,-

(a) use or operate within or at the entrance of the polling station, or in any public or private place in the neighbourhood thereof any. apparatus for amplifying or reproducing the human voice, such as a megaphone or a loud speaker, or

(b) shout or otherwise act in -a disorderly manner, within or at the entrance of the polling station or in any public or private place in the neighbourhood thereof;

so as to cause annoyance to any person visiting the polling station for the poll. or so as to interfere with the work of the officers and other persons on duty at the polling station.

(2) Any person who contravences, or wilfully aids or abets the contravention of. the provisions of sub-section (I) shall. punishable with imprisonment which may extend to three months or with fine or with both.

(3) If the polling officer of a polling station has reason believe that any person is committing or has committed an offence, punishable under this section, he may direct any police officer to arrest such person, and thereupon the police officer shall arrest' him.

(4) Any police officer may take such steps, and use such force as may be reasonably necessary for preventing any contravention of the provisions of sub-section (1), and may seize any apparatus used for such contravention.

8. Penalty for Misconduct at polling station.- (1)Any person who during the hours fixed for the poll at any polling station misconducts him self or fails to obey the lawful directions of polling officer may be removed from the polling station by the polling officer or by any police officer on duty or by any person authorised in this behalf by such polling officer.

(2) The powers conferred by sub-section (1) shall not exercised so as to prevent any elector who is otherwise entitled to vote at a polling station from having an opportunity of voting at that station.

(3) If any person who has been so removed from a polling station re-enters the polling station without the permission of the polling officer, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three months or with fine or with both.

(4) An offence punishable under sub-section (3) shall be cognizable.

9. Penalty for illegal hiring or procuring of conveyances at elections.-(1) No candidate or his agent or any other person shall hire or procure whether on payment or otherwise any vehicle or vessel for the conveyance of any elector (other than the candidate himself, a member of his family or his agent) to or from any polling station provided for the election:

Provided that the prohibition contained in this section shall not apply to

(a) the hiring of a vehicle or vessel by an elector or by several electors at their joint costs for the purpose of conveying him or them to or from any such polling station if the vehicle or vessel so hired is a vehicle or vessel not propelled by mechanical power; or

(b) the use of any public transport vehicle or vessel or railway carriage by any elector at his own cost for the purpose of going to or comming from any such polling station.

Explanation.-*In* this clause, the expression "vehicle" means any vehicle used or capable of being used for the purose of road transport, whether propelled by mechanical power or otherwise, and Whether used for drawing other vehicles or otherwise.

(2) Any person who contravenes sub-section (1) shall be punishable with fine which may extend to two hundred and fifty rupees.

10. Removal of ballot papers from polling station to be offence.-(1) Any person who at any election fraudulently takes, or attempts to take, a ballot peper out of a polling station, or wilfully aids or obets the doing of any such act, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year or with fine which may extend to five hundred rupees or with both.

(2) If the polling officer of a polling station has reason to believe that any person is committing or has committed an offence punishable under sub-section (1), such officer may, before such person leaves the polling station, arrest or direct a police officer to arrest such person and may search such person or cause him to be searched by a police officer:

Provided that when it is necessary to cause a woman to be searched, the search shall be made by another woman with strict regard to decency.

(3) Any ballot paper found upon the person arrested on search shall be made over for safe custody to a police officer by the polling officer, or when the search is made by a police officer, shall be kept by such officer in safe custody.

(4) An offence punishable under sub-section (1) shall be cognizable.

11. Other offences and penalties therefor (1) A person shall be guilty of an electoral offence if at any election he –

(a) fraudulently defaces or fraudulenty destroys any nomination paper, or

(b) fraudulently defaces, destroys or removes any list, notice or other document affiexed by or under the authority, of a Returning Officer or

(c) without due authority supplies any ballot paper to any person or receives any ballot paper from any person or is in possession of any ballot paper; or

(d) fraudulently puts into any ballot box anyting other than the ballot paper which he is authorised by law to put in; or

(e) without due authority destroys, takes, opens or otherwise interferes with any ballot box or ballot paper then in use for the purpose of the election; or

(f) fraudulently or without due authority, as the case may be, attempts to do any of the foregoing acts on wilfully aids or abets the doing of any such acts.

(2) Any person guilty of an electoral offence under Section shall –

(a) if he is a returning officer or a polling officer at a polling station or any other officer or clerk employed on official duty in connection with the election, be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years or with fine or with both;

(b) if he is any other person, be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months or with fine or with both.

(3) For the purposes of this section, a person shall be deemed to be on official duty if his duty is to take part in the conduct of an election or part of an election including the counting of votes or to be responsible after an election for the used ballot papers and other documents in connection with such election.

(4) An Offence punishable under clause (b) of sub-section (2) shall be congnizable.

12. Prosecution regarding certain offences.-(1) If the principal officer of a local authority has reasons to believe that any offence punishable under section 5 or under clause (a) of sub-section 11 has been committed in reference to any election, it shall be the duty of such officer to send a report in that behalf forthwith to the Collector within whose local jurisdiction the local autharity is situate..

(2) If on receipt of such report or otherwise the Collector is satisfied that an offence to which sub-section (1) applies has been committed within his jurisdiction, he shall cause such inquiries to be made and such prosecutions to be instituted as the circumstances of the case may appear to him to require.

(3) No. court shall take cognizance of any offence punishable under section 5 or under clause (a) of sub-section (2) of section 11 unless there is a complaint made by order of, or under the authority from, the Collector concerned.

---

1. Substituted by M.P. Act No.7 of 1968 published in M.P. Gazette (Extraordinary) dated 30 March 1968.

13. Breaches of official duty in connection with elections.(1) If any person to whom this section applies is without reasonable cause guilty of any act or ommission in breach of his official duty, he shall, be punishable with fine which may extend to five hundred rupees.

(2) No suit or other legal proceedings shall lie against any such person for damages in respect of any such act or ommission as aforesaid.

(3) The persons to whom this section applies are the returning officers, presiding officers, polling officers and any other person appointed to perform any duty in connection with the receipt of nominations or withdrawal of candidatures, or the recording or counting of votes at an election; and the expression "official duty" shall for the purposes of this section be construed accordingly, but shall not include duties imposed otherwise than by or, under the law under which the election is held.

14. Maintenance of secrecy of voting.-(l) Every officer, clerk, agent or other person who performs any duty in connection with the recording or counting of votes at an election shall maintain, and aid in maintaining the secrecy of the voting and shall not (except for some purpose authorised by or under any law) communicate to any person any information calculated to violate such secrecy.

(2) Any person who contravene the provisions of sub-section (1) shall be punishable with imprisionment for a term which may extend to three months or with fine or with both.

14-**A. Restriction of the Printing of Pamphlets, Posters etc.-**(1) No person shall print or publish, or cause to be printed or ,published any election pamphlet or a poster

which in either case does not bear on its face the names and addresses of the printer and the publisher thereof.

(2) No person shall print or'cause to be printed any election pamphlet or posrer –

(a) unless declaration as to the identity of the publisher thereof signed by him and attested by two persons to whom he is personally known, is delivered by him to the printer in duplicate; and

(b) unless, within a reasonable time after the printing of the document, one copy of the declaration is sent by the printer, together with one copy' of the document to such officer of the district, as the State Government may specify, in which it is printed.

(3) for the purposes of this Section,

(a) Any process for multiplying copies of a document, other than copying it by hand, shall be deemed to be printing and the expression "printer" shall be construed accordingly; and

(b) "election pamphlet or poster" means any printed pamphlet, hand bill or other document distributed for the purpose of promoting or prejudicing the election, of a candidate or group of candidates or any placard or poster having reference to an election, but does not include any hand-bill, placard or poster merely announcing the date, time and place and other particulars of an election meeting

or routine instructions to election agents or workers.

(4) Any person who contravenes any of the provisions of sub-section (1) or sub-section (2) shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to two thousand rupees, or with both.

14-B. Penalty for Government servant for acting as elections agent, polling agent or counting agent.-If any person in the service of the Government acts as an election agent or a polling agent or a counting agent of a candidate at an election, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three months, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both.

14-C. Promoting enmity between classes in connection with election.-Any person who in connection with an election deemed in clause (1) of Section 2 of this Act, promotes or attempts to promote on grounds of religion, race, caste, community or language, feelings of enmity or hatred between different class of the citizens of India residing in or carrying on businesses trade, profession or any calling in Chhattisgarh shall be punishable with imprsonment for a term which may extend to three years, or with fine, or with both.

14-D. Offence of booth capturing.-Whoever commits an offence of booth capturing shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than six months but which may extend to two years and with fine, and where such offence is committed by a perosn in the service of the Government, he shall be punishable with

imprisonment for a term which shall not be less than one year but which may extend to three years and with fine.

Explanation.-*For* the purposes of this section. "booth capturing" includes, among other things, all or any of the following activities, namely :

(a) seizure of a polling station or a place fixed for poll by any person or persons and making polling authorities surrender the ballot papers or voting machines or doing of any other act which affects the orderly conduct of elections;

(b) taking possession of a polling station or a place fixed for the poll by any person or persons and allowing only his or their own supporters to exercise their right to vote and preventing others from voting;

(c) threatening any elector and preventing him from going to the polling station or a place fixed for the poll to cast his vote;

(d) seizure of a place of counting of votes by any person or persons, making the counting authorities surrender the ballot papers or voting machines or the doing of anything which affects the orderly counting of votes;

(e) doing by any person in the service of Government of all or any of the aforesaid activities or aiding or conniving at any such activity in the furtherence of the prospects of the election of a candidate.

छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985

(इस नियम का अनुकूलन छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा कर लिया गया है)

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ.—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ पर है।

(3) यह छत्तीसगढ़ के ऐसे समस्त क्षेत्रों में प्रवृत्त होगा जिसमें कि ध्वनि तथा कोलाहल नियंत्रण विधान, संवत् 2008 (क्रमांक 14, सन् 1951) इस अधिनियम के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त था और अन्य क्षेत्रों में ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. परिभाषाएं.— इस अधिनियम में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) ''तीव्र संगीत'' से अभिप्रेत है वह ध्वनि जो बैंड वैग पाइप, क्लेरियोनेट, शहनाई, ड्रम, बिगुल, डोल, डफ, डफड़ा, नगाड़ा, ताशा या झांज पर या उससे निकाली गई हो और उसमें कोई ऐसी तीव्र ध्वनि भी सम्मिलित है जो किसी अन्य वाद्य या साधन द्वारा निकाली गई हो;

(ख) ''ध्वनि विस्तारक'' से अभिप्रेत है कोई ध्वनिवर्धक (एम्ल्पीफायर) या कोई अन्य युक्ति (डिवाइस) जो ध्वनि के प्रवर्धन के प्रयोजन के लिये उपयोग में लाई जाती हो;

(ग) ''कोलाहल'' से अभिप्रेत है किसी भी स्रोत से निकाली गई इस प्रकार की ध्वनि जो किसी मामूली संवेदना ग्राहिता या संवेदना वाले किसी व्यक्ति को मानसिक या शारीरिक क्लेश पहुंचाती है या जिससे ऐसा क्लेश पहुंचाना सम्भाव्य है या जो अध्ययन में विध्न पड़ता सम्भाव्य है।

(घ) ''विहित प्राधिकारी'' से अभिप्रेत है जिला मजिस्ट्रेट या ऐसा अन्य प्राधिकारी या अधिकारी जो नायब तहसीलदार की पद श्रेणी से निम्न पद श्रेणी का न हो, और जिसे जिला मजिस्ट्रेट ने लिखित में इस निमित्त सशक्त किया हो,

(ङ) ''लोक स्थान'' से अभिप्रेत है कोई ऐसा स्थान जिस तक जनता की पहुंच हो या जहां आने—जाने का जनता को

अधिकार हो या जिस पर से निकलने का जनता को अधिकार हो और उसके अन्तर्गत है–

(एक) कोई सड़क या मार्ग चाहे वह आम रास्ता हो या न हो,

(दो) वे दुकान होटल, उपहार–गृह जो पूर्वोक्त के पार्श्वस्थ हों,

(तीन) ऐसा अन्य स्थान जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करें,

(च) ''मन्द संगीत'' से अभिप्रेत है ऐसी ध्वनि जो निम्नलिखित वाद्यों में से किसी भी वाद्य पर या उससे निकाली गई हो, अर्थात्–

(एक) सितार, सारंगी, इकतारा, वायलिन, बंशी, दिलरूबा, बीन, वीणा, सरोद, जल–तरंग;

(दो) पियानो, हारमोनियम, ग्रामोफोन, तबला, खंजरी, ढोलक और मृदंग;

(तीन) ट्रांजिस्टर, रिकार्डप्लेयर, स्टीरियो या रेडियो, जहां तक कि केवल संगीत कार्य का संबंध है।

3. कतिपय दशाओं में मंद संगीत का प्रतिषेध– (1) धारा 2 के खण्ड (च) के उपखंड (दो) तथा (तीन) में वर्णित वाद्यों पर या उनसे अपरान्ह 10 बजे तथा पूर्वान्ह 6 बजे के बीच किसी भी लोक–स्थान में मन्द संगीत नहीं बजाया जायेगा।

(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट कोई भी बात, परिवेष्टित क्षेत्रों के भीतर या घर के भीतर बजाये गये मंद संगीत को तब तक लागू नहीं होगी जब तक कि ऐसे मन्द संगीत की परिणति कोलाहल में न होती है।

4. तीव्र संगीत का प्रतिषेध–अपरान्ह 10 बजे तथा पूर्वान्ह 6 बजे के बीच किसी भी स्थान में तीव्र संगीत बजाया व बजवाया नहीं जायेगा।

5. ध्वनि–विस्तारक के उपयोग के संबंध में साधारण निर्बन्धन–(1) अपरान्ह 10 बजे तथा पूर्वान्ह 6 बजे के बीच के समय ध्वनि–विस्तारक चलाया या चलवाया नहीं जायेगा।

(2) ध्वनि–विस्तारक, उपधारा (1) वर्णित समय से भिन्न किसी समय पर भी–

(क) किसी मनोरंजन, व्यापार या कारबार का विज्ञापन करने के प्रयोजनों के लिए या किसी अन्य वाणिज्य आख्यापन के लिये चलाया या चलवाया नहीं जायेगाः

तुरन्त स्थानीय प्राधिकरण या जहां कोई प्राधिकरण न हो, वहां विहित प्राधिकारी किसी युक्तियुक्त हेतुक से, पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिये ध्वनि विस्तारक का उपयोग ऐसे घन्टों के बीच, जो कि उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किये जायें, किये जाने की अनुज्ञा ऐसे निर्बन्धनों तथा शर्तों पर दे सकेगा जो कि विहित की जाएं;

(ख) किसी खुले स्थान या लोक–स्थान में रिकार्ड या टेप किया हुआ संगीत बजाने के लिये चलाया या चलवाया नहीं जायेगा;

(ग) किसी चिकित्सालय, उपचर्या–गृह (नर्सिंग होम), दूरभाष केन्द्र (टेलीफोन एक्सचेंज) न्यायालय, शिक्षण–संस्था तथा उसके छात्रावास, सरकारी कार्यालय, स्थानीय प्राधिकरण के कार्यालय तथा बैंक से दो–सौ मीटर की दूरी के भीतर चलाया या चलवाया नहीं जायेगाः

परन्तु जहां कोई ध्वनि–विस्तारक उपर्युक्त दूरी से परे चलाया या चलवाया जाता है, यहां उसके वाल्यूम को इस प्रकार विनियमित किया जायेगा कि जिससे उपर्युक्त संस्थाओं को कोई विघ्न न पहुंचे या न्यूसेन्स कारित न हो।

6. श्रृंगाकार (हार्न टाइप) ध्वनि विस्तारक के उपयोग पर निर्बन्धन. –श्रृंगाकार ध्वनि–विस्तारक का उपयोग उस स्थिति में प्रतिषिद्ध है जबकि उसका उपयोग किये जाने की अनुज्ञा विहित प्राधिकारी द्वारा न दी गई हो।

7. ध्वनि–विस्तारक का चलाया जाना.–(1) धारा 5 के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, विहित प्राधिकारी, निम्नलिखित परिस्थितियों में, ध्वनि–विस्तारक चलाये जाने की अनुज्ञा, उसके साथ लगाए गए निर्बन्धनों के साथ दे सकेगा–

(क) ऐसे बन्द कमरों तथा परिवेष्टित परिसरों के भीतर, जो जनता के लिये खुले हों, ध्वनि–विस्तारक उस सीमा तक चलाया जाना अनुज्ञात किया जा सकेगा जहां तक कि कोलाहल ऐसे बन्द कमरों या परिवेष्टित परिसरों से बाहर न जाता हो;

(ख) ऐसे परिसरों में, जो कि या तो खुले हो या सभी ओर से बंद न हो लकड़ी के केबिनेट में बंद केवल शंकु (कोन) आकार का

ध्वनि– विस्तारक चलाये जाने की अनुज्ञा दी जायेगी और ध्वनि–विस्तारक इस प्रकार लगाया जायेगा कि जिससे ध्वनि का प्रक्षेपण निकटतम भवन से परे न हो।

(2) विहित प्राधिकारी ऐसे समस्त मामलों में, जिसमें ध्वनि विस्तारक चलाये जाने की अनुज्ञा दी गई है, ध्वनि विस्तारक चलाये जाने की अवधि, जो किसी भी एक दिन में छह घण्टे से अधिक नहीं होगी, विनियमित कर सकेगा, और ध्वनि विस्तारक ऐसी रीति में तथा ऐसे समय के दौरान और ऐसी शर्तों के अधीन चलाया जायेगा जैसा कि कोलाहल रोकने के लिए विहित की जाएं।

(3) विहित प्राधिकारी इस धारा के अधीन अनुज्ञा या तो साधारणतया या किसी विनिर्दिष्ट कालावधि के लिये या किसी विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए दे सकेगा।

8. ध्वनि–विस्तारक का लोक–प्रयोजन के लिये या आख्यापनायें करने के लिये उपयोग–धारा 5, 6 तथा 7 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ध्वनि–विस्तारक सरकार या स्थानीय प्राधिकरणों की ओर से आख्यापनायें करने या सार्वजनिक सभाओं के प्रयोजनों के लिये या विधि और व्यवस्था बनाये रखने के लिए चलाये जा सकेंगे।

9. शंकु आकार (कोन टाइप) का ध्वनि–विस्तारक चलाने के लिए अनुज्ञा.–धारा 5, 6 तथा 7 में अन्तविष्ट किसी बात के होते हुए भी लकड़ी के केबिनेट में बन्द शंकु आकार के ध्वनि–विस्तारक का किसी बात के होते हुए भी,लकड़ी के केबिनेट में बंद शंकु आकार का ध्वनि–विस्तारक का किसी प्राइवेट भवन के परिवेष्टित परिसर के भीतर चलाया जाना अनुज्ञात है, बशर्ते इस प्रकार चलाये जाने की परिणति कोलाहल में न होती हो।

10. किसी भी प्रकार के कोलाहल का लोकहित में प्रतिषेध–(1) अपरान्ह 11 बजे तथा पूर्वान्ह 6 बजे के बीच के समय किसी प्रकार का कोलाहल प्रतिषिद्ध है.

(2) विहित प्राधिकारी, समाधान हो जाने पर कि उसकी राय में लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है किसी भी अन्य समय पर किसी भी स्थान में किसी भी प्रकार के कोलाहल का प्रतिषेध लिखित आदेश द्वारा, उसके लिए कारण लेखबद्ध करते हुए, कर सकेगा।

11. मोटरयानों से उत्पन्न होने वाले कोलाहल के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध–(1) कोई भी मोटरयान किसी लोक सड़क पर किसी लोक स्थान में तब तक चलाया या उपयोग में नहीं लाया जायेगा जब तक कि निकास टंकी (एक्जास्ट सिस्टर्न) को इस प्रकार समुचित रूप से न ढक दिया गया हो कि जिससे यान से कोलाहल उत्पन्न न हो।

(2) कोई भी व्यक्ति किसी यान से कोई विद्युत् या यांत्रिक भोंपू (हार्न) इस प्रकार नहीं बजायेगा कि जिससे उसके सामीप्य में पैदल चलने वाले व्यक्ति या किसी यान का चालक तथा उस यान के यात्री घबड़ा जाएं या उन्हें संत्रास या क्षोभकारित हो।

12. उपबन्धों का शिथिलीकरण–किसी संभाग का आयुक्त, किसी युक्तियुक्त हेतुक से धारा 4, 5, 6 तथा 7 के उपबन्धों का ऐसी सीमा तक, जैसा कि वह आवश्यक समझे, शिथिल कर सकेगा।

13. छूट–(1) इस प्रकार अधिनियम की कोई भी बात निम्नलिखित को लागू नहीं होगी– (एक) नीचे उल्लिखित राष्ट्रीय और सामाजिक समारोहों तथा धार्मिक उत्सवों के अवसरों को–

1. गणतन्त्र दिवस
2. बसन्त पंचमी
3. महाशिवरात्रि
4. होली और रंगपंचमी
5. गुडी–पड़वा
6. चैती–चांद
7. रामनवमी
8. बैशाखी
9. महावीर जयन्ती
10. डॉ. अम्बेडकर जयन्ती
11. बुद्ध पूर्णिमा
12. नागपंचमी
13. ईदुल फितर
14. रक्षाबंधन
15. स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त)
16. श्री कृष्ण जन्माष्टमी
17. गणेश चतुर्थी से अनन्त चौदस तक
18. सर्व पितृमोक्ष अमावस्या

19. गांधी जयन्ती (2 अक्टूबर)
20. दुर्गा पड़वा से दशहरा तक
21. दीपावली
22. भाई दूज
23. गुरूनानक जयन्ती
24. मिलाद–उन–नबी
25. गुरू घासीदास जयन्ती
26. क्रिसमस डे
27. मोहर्रम (तारीख 1 से 10 तक)
28. ईद–उल–जुहा
29. गुड फ्राइडे, और

(दो) धार्मिक स्थानों तथा परिसरों पर ध्वनि–विस्तारक के उपयोग को जहां कि ऐसा उपयोग परम्परा के रूप में किया जा रहा है।

(2) विहित प्राधिकारी, उसे किये गये लिखित आवेदन पर, ऐसी कालावधि के लिए, ऐसे अवसरों पर और ऐसे क्षेत्रों में, जैसा कि अनुज्ञा में विनिर्दिष्ट किया जाये, धारा 4, 5, 6 तथा 7 के उपबंधों में छूट दे सकेगा।

14. अपराधों का असंज्ञेय तथा जमानतीय होना–इस अधिनियम के अधीन समस्त अपराध असंज्ञेय तथा जमानतीय होंगे।

15. शास्ति–(1) जो कोई इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों में से किसी भी उपबंध का उल्लंघन करेगा या उल्लघंन करने का प्रयत्न करेगा या उल्लंघन किये जाने का दुष्प्रेरण करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि छः मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रूपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा।

(2) जो कोई उपधारा (1) के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए पूर्व में दोषसिद्ध ठहराया जाने पर ऐसे कोई अपराध तत्पश्चात् करेगा और उसके लिए दोषसिद्ध ठहराया जायेगा, वह उस दण्ड से जो इस अधिनियम के अधीन प्रथम दोषसिद्धि पर अधिरोपित किया जा सकता हो, दुगने दण्ड से दण्डनीय होगा।

16. ध्वनि विस्तारक का अभिग्रहण करने की शक्ति–(1) हेड कांस्टेबल की पद श्रेणी से अनिम्न पद श्रेणी का कोई भी पुलिस अधिकारी, ऐसे ध्वनि विस्तारक को, जिसका उपयोग इस अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करते हुए किया गया हो, अभिगृहित कर सकेगा।

(2) ऐसा पुलिस अधिकारी या कोई न्यायालय, जिसके कि समक्ष वह ध्वनि विस्तारक पेश किया जाता है, उसे उसके कब्जे का हकदार होने का दावा करने वाले किसी व्यक्ति के पक्ष में निर्मुक्त कर सकेगा जबकि ऐसा व्यक्ति यथास्थिति उस पुलिस अधिकारी या न्यायालय के समाधानपद रूप में, प्रतिभूति सहित या रहित, एक बन्धपत्र यह वचनबद्ध करते हुए निष्पादित कर देता है कि वह उस ध्वनि विस्तारक को, जब कभी भी इससे वैसा करने की अपेक्षा की जाये, पेश करेगा।

(3) अनुज्ञापत्र का कोई धारक या ऐसे धारक के नियोजन में तथा उसकी ओर से कार्य करने वाला कोई व्यक्ति, जो ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा मांग की जाने पर ऐसा अनुज्ञा–पत्र पेश करने में असफल रहेगा; वह कारावास से, जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच सौ रूपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा।

17. कतिपय दशाओं में ध्वनि विस्तारक के समपहरण का आदेश देने की शक्ति–अपराध का विचारण करने वाला न्यायालय, दोषसिद्धि पर, उस ध्वनि विस्तारक को सरकार के पक्ष में समपहृत किये जाने का आदेश दे सकेगा।

18. कोलाहल प्रतिबंधित क्षेत्र (साइलेन्स जोन) घोषित करने की शक्ति–जिला मजिस्ट्रेट जहां कि वह लोक हित में ऐसी कार्यवाही करना आवश्यक समझता है, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से सभी प्रकार के कोलाहल का ऐसी कालावधि तथा समय के लिए जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जाये, प्रतिषेध करते हुए, कोलाहल प्रतिबंधित क्षेत्र (जोन्स आफ साईलेंस) विनिर्दिष्ट कर सकेगा।

19. नियम बनाने की शक्ति–(1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के नियम, अधिसूचना द्वारा बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया तथा पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित समस्त विषयों या उनमें से किसी भी विषय के लिए उपबंध हो सकेंगे, अर्थात्–

(क) वे निर्बन्धन तथा शर्तें जिन पर धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (क) के परंतुक के अधीन ध्वनि–विस्तारक का उपयोग करने की अनुज्ञा दी जा सकेगी;

(ख) वह रीति जिसमें, वह समय जिसके दौरान वे शर्तें जिनके अधीन धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन अनुज्ञा दी जा सकेगी;

(ग) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना हो विहित किया जाये.?

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम विधान सभा के पटल पर रखे जायेंगे।

20. निरसन– छत्तीसगढ़ ध्वनि तथा कोलाहल नियंत्रणा विधान, संवत् 2008 (क्रमांक 14, सन् 1951) एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

THE CHHATTISGARH KOLAHAL NIYANTRAN ADHINIYAM, 1985

An Act to provide for control of noises in the State of Chhattisgarh and for matters connected therewith and incidential thereto,

Be it enacted by the Madhya Pradesh in the Thirty sixth Year of the Republic of India as follows:

1. Short title, extent and commencement.-(1) This Act may be called the Chhattisgarh Kolahal Niyantran Adhiniyam, 1985.

(2) It extends to the whole of Chhattisgarh.

(3) It shall be in force in all such areas of Chhattisgarh in which the Chhattisgarh Control of Music and Noises Act, Samvat 2008 (No. 14 of 1951) was inforce immediately before the commencement of this Act and shall come into force in other areas on such date as the State Government may, by notification, appoint.

2. Definations - In this Act, unless the context otherwise requires,

(a) "Loud music" means sound produced on or from band, bag pipe, clarionet, shahnai, drum, bigule, dhole, daf, dafda, nagara, tasha, or Jhanj and includes any loud sound produced by any other instrument or means;

(b) "loud speaker" means an amplifier or any other device used for the purpose of amplifying sound;

(c) "noise" means sound from any source whatsoever of such character as causes or is likely to cause mental or physical discomfort to a man of ordinary sensibility or susceptibility or causes or is likely to cause disturbance in the study;

(d) "prescribed authority" means the District Magistrate or such other authority or officer not below the rank of a Naib Tahsildar as may be empowered by the District Magistrate in writing in this behalf;

(e) "public place" means a place to which public have access or have a right to resort or over which public have a right to pass and inc1udes,

(i) street or way, whether a through-fare or not;

(ii) shops, hotels, restaurants as are adjecent to the aforesaid;

(iii) such other place as the State Government- may, by notification, specify in this behalf

(f) "soft music" means sound produced on or from any of the following instruments, namely :

(i) sitar, sarangi, ektara, violin, bansi, dilruba, bin, veena, sarod, jaltarang;

(ii) piano, harmoniyam, gramophone, tabla, khanjari, dholak and mridang;

(iii) transister, record player, sterio or radio in so far as musical programmes only are concerned.

3. Prohibition of soft music in certain cases - (1) Soft music on or from instruments mentioned in sub-clauses

(ii) and (iii) of clause (f) of Section 2 shall, not be produced in any public place between the hours l0 P. M. and 6 A. M.

(2) Nothing contained in sub-section (1) shall apply to soft music produced within enclosed areas or indoor so long as such soft music docs not result in noise.,

4. Prohibition of loud music-Loud music shall not be produced or be caused to be produced in any place between the hours of 10 P. M. and 6A. M.

5. General restrictions against the use of loud-speaker – (1) Loud music shall not be operated or be caused to be operated between the hours of l0 P.M and 6.AM.

(2) Loud speaker shall not also be operated or caused to be operated at any time other than that mentioned in sub-section (1) –

(a) for the purposes of advertising any entertainment, trade or business or for any other commercial announcement:

Provided that the local authority or where there is no local authority, the prescribed authority may permit the use of loud speaker for any reasonable cause between the hours as may be specified by him for the aforesaid purpose on such terms and conditions may be prescribed;

(b) for playing records or taped music in any open place or public place;

(c) within a distance of two hundred metres from a hospital, a nursing home, a telephone exchange, a court, an educational institution

or its hostel, Government offices, office of the local authority and bank :

Provided that where a loud speaker is operated or caused to be operated beyond the above distance, its volume shall be so regulated as not to cause any disturbance or nuisance to the above institutions.

6. Restrictions on the use of horntyped loud speaker – The use of horn-type loud speaker is prohibited, unless so permitted by the prescribed authority.

7. Operation of loud-speaker- (l) Subject to the provisions of Section 5, the prescribed authority may permit operation of a loud-speaker in the following circumstances with restrictions attached thereto :

(a) the operation of loud-speaker may be permitted within closed doors and enclosed premises which are open to the public to the extent that noise is not carried outside such closed doors or enclosed premises;

(b) operation of only a cone type loud-speaker enclosed within wooden cabinet shall be permitted in such premises which are either open or not closed on all sides and the loud speaker shall be to fixed as not to project sound away from the nearest building.

(2) In all such cases where a loud-speaker is permitted to be operated, the prescribed authority may regulate the duration which shall not exceed six hours in anyone day and shall be operated in such manner and

during such time and under such conditions as may be prescribed to eliminate noise.

(3) The prescribed authority may grant the premission under this section either generally or for a specified period or for specified purpose.

8. Use of loudspeakers for public purposes or making announcements – Notwithstanding anything contained in sections 5, 6 and 7 loudspeakers may be operated for purposes *of* making announcements on behalf of the Government of local authorities or public meetings or for the maintenance of law and order.

9. Permission for operation of cone-type loud-speaker – Notwithstanding anything contained in sections 5, 6 and 7 the operation of a cone-type loud-speaker enclosed in a wooden cabinet within enclosed premises of a private building is permitted provided that such operation does not result in noise.

10. Prohibition of any kind of noise in public interest – (1) Noise of any kind is prohibited between the hours of 11 P. M. and 6 A. M.

(2) The prescribed authority, lm being satisfied that in its opinion it is necessary in public interest so to do. by an order in writing, recording reasons therefore, prohibit noise of any kind in any place at any other time.

11. Special provision relating to noise emanating from motor vehicles – (l) No motor vehicle shall be driven or used on a public road or in a public place unless the

exhaust cistern is properly mumed so that the vehicle does not give out noise.

(2) No one shall blow an electric or mechanical horn from a vehicle as to unnerve or cause alarum or annoyance to the pedestrians or driver of and passengers in, the vehicle nearby.

12. Relaxations of provisions - The Commissioner of a Division may for any reasonable cause relax provisions of sections 4, 5, 6 and 7 to such extent as he may consider necessary.

13. Provisions-(l) Nothing in this Act shall apply to,

(i) the occasions of National and Social functions and religious Festivals mentioned below :

1. Republic day (26th January)
2. Basnat Panchami
3. Maha Shivratri
4. Holi and Rangpanchami
5. Guripadhva
6. Chaitti Chand
7. Ramnawami
8. Baishakhi
9. Mahavir Jayanti
10. Dr. Ambedkar Jayanti
11. Buddha Poornima
12. N agpanchami
13. Id-ul-Fiter

14. Rakhsabandhan
15. Independance Day (15th August)
16. Shri Krishna lanmashtami
17. Ganesh Chaturthi to Anant Choudas
18. Sarva Pitrimoksha Amavasya
19. Gandhi lay anti (2nd October)
20. Durga Padhva to Dashahara
21. Deepavali
22. Bhai Dooj
23. Guru Nanak layanti
24. Milad-un-nabi
25. Guru Ghasidas Jayanti
26. Christmas Day
27. Moharrum from 1 to 10
28. Id-uz-Zuha
29. Good Friday and

(ii) the use *of* loudspeaker at any religious place or premises where it is being made as a tradition

(2) The prescribed authority may, on application in writing made *to* him, grant exemption *from* the provisions *of* sections 4,5, 6 and 7 *for* such period, on such occasions and in such areas as may be specified in the permission.

14. Offences to be non-cognizable and bailable- All offences under this Act shall be non-cognizable and bailable.

15. Penalty - (1) 'Whoever contravenses or attempts to contravene or abets the contravention of any of the

provisions of this Act or the rules made there under shall be punished with imprisonment for a term which may extend to six months or with fine which may extend to one thousand rupees or with both.

(2) Whoever after having been previously convicted of an offence punishable under sub-section (1) subsequently commits and is convicted of an offence shall be liable to twice the punishment which might be imposed on a first conviction under this Act.

16. Power 10 seize the loudspeaker (1) Any Police Officer not below the rank of Head Constable may seize the loud-speaker used in contravention of the provisions of this Act.

(2) Such police officer or any Court before which the loudspeaker is produced may release it in favour of any person, claiming to be entitled to possession thereof on his executing a bond with or without sureties, to the satisfacation of the police officer or the Court, as the case may be undertaking to produce the loud-speaker whenever called upon to do so.

(3) A holder of a permit or any person in the employ of such holder and acting on his behalf who fails to produce such permit on the demand of such police officer shall be punished with imprisonment for a term which may extend to one month or with fine which may extend to five hundred rupees or with both.

17. Power to order forefeiture of the loud-speaker in certain cases - On conviction, the Court trying the offence may order forefeiture of the loud-speaker to the Government.

18. Power to declear silence noise-The District Magistrate may, where he considers such a step necessary

in public interest for reasons to be recorded in' writing, specify zones of silence, prohibiting noises of all kinds for such period and hours as may be specified.

19. Power to makes rules - (1) The State Government may, by notification, make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely :

(a) the terms and conditions on which permission to use loud speaker may be given under proviso to clause (a) of sub-section (2) of Section 5;

(b) the manner in which, the time during which and conditions subject to which permission may be given under sub-section (2) of Section 7;

(c) any other matter which is to be or may be prescribed.

(3) All rules under this Act shall be laid on the table of the Legislative Assembly.

20. Repeal-The Chhattisgarh Control of Music and Noises Act, Samvat 2008 (No. 14 of 1951) is hereby repealed.

छत्तीसगढ़ संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम,

1994

(इस अधिनियम का अनुकूलन छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा कर लिया गया हैं)

भारत गणराज्य के पैंतालीसवें वर्ष में मध्य प्रदेश विधान–मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः–

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 1994 है।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ पर है।

2. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न होः–

(क) ''विरूपण के अंतर्गत आता है रूप या सौदर्य ास करना या उसके साथ हस्तक्षेप करना, उसे नुकसान पहुंचाना विदूषित करना, खराब करना या अन्य किसी प्रकार की चाहे वह कैसी भी हो, उसे क्षति पहुचाना और शब्द ''विरूपित करना'' का अर्थ तद्नुसार लगाया जाएगा,

(ख) ''संपत्ति'' के अंतर्गत आता है कोई भवन, झोपड़ी, संरचना, दीवार, वृक्ष, बाड़, खंबा (पोस्ट), स्तम्भ (पोल) या कोई अन्य परिनिर्माण,

(ग) ''लिखावट'' के अंतर्गत आता है स्टेंसिल द्वारा की गई सजावट, अक्षरों की लिखाई या अलंकरण आदि।

3. कोई भी जो संपत्ति के स्वामी की लिखित अनुज्ञा के बिना सार्वजनिक दृष्टि में आने वाली किसी संपत्ति को स्याही, खड़िया, रंग या किसी अन्य पदार्थो से लिखकर या चिन्हित करके उसे विरूपित करेगा वह जुर्माने से, जो एक हजार रूपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

4. इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई भी अपराध संज्ञेय होगा।

5. धारा 3 के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य सरकार इस बात के लिए सक्षम होगी कि वह ऐसे उपाय करे जो कि किसी लिखावट को मिटाने किसी विरूपण से मुक्त कराने या किसी चिन्ह को हटाने के लिए आवश्यक है और उस पर उपगत हुए व्यय ऐसी लिखावट करने, विरूपण

करने या चिन्ह बनान के लिए दोषी पाये जाने वाले व्यक्ति से भू–राजस्व की बकाया के रूप में वसूलीय होंगे।

6. इस अधिनियम के उपबन्ध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे।

THE CHHATTISGARH SAMPAITI VIRUPAN NIVARAN ADHINIYAM, 1994

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Forty fifth Year of the Republic of India as follows :

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Sampatti Virupan Nivaran Adhiniyam, 1994.

(2) It extends to the whole of Chhattisagrh.

2. In this Act, unless the context otherwise requires, (a) "defacement" includes impairing or interfering with the appearance or beauty, damaging, disfiguring, spoiling or injuring in any other way whatsoever and the word "deface" shall be construed accordingly;

(b) "property" includes any building, hut structure, wall, tree, lence, post, pole or any other erection;

(c) "writing" includes decoration, lettering, ornamentation etc. produced by stencil.

3. Whoever defaces any property in public view by writing or marking with ink, chalk, paint or any other material, without the written permission of the owner of the property shall be punishable with fine which may extend to one thousand rupees.

4. An offence punishable under this Act shall be cognizable.

5. Without prejudice to the provisions of Section 3, it shall be competent for the State Government to take such steps as may be I necessary for erasing any writing, freeing any defacement or removing any mark from any property and the expenses incurred thereon shall be recoverable from

the person found guilty for such writing defacement or mark as arrears of land revenue.

6. The provisions of this Act shall have effect notwithstanding anything to the contrary contained in any other law for the time being in force.